बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

कार्यालय आदेश

सं0----------/2012 पटना, दिनांक जुलाई,2012

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के कार्यों की सघन समीक्षा करने एवं उसमें अपेक्षित सुधार लाने हेतु निम्नानुसार धावा दल का गठन किया जाता है । धावा दल संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों का औचक निरीक्षण निम्न बिन्दुओं पर कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगा । साथ ही स्थिति में सुधार लाने हेतु अपना सुझाव भी समर्पित करेंगे :

(i) सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में चालू एवं खराब पड़े उपकरण एवं मशीनों का निरीक्षण करना । खराब पड़े मशीन/उपकरण की मरम्मती हेतु क्या कार्रवाई की गयी तथा उनपर कितना व्यय किया गया । वैसे मशीन/उपकरण जो मरम्मती के लायक नहीं है उनके रद्दीकरण के संबंध में प्रतिवेदन देना ।

(ii) पैथोलॉजिकल जांच हेतु केमिकल्स की उपलब्धता एवं Inventory Management की स्थिति ।

(iii) मुफ्त पैथोलोजिकल/रेडियोलॉजिकल जाँच की स्थिति । क्या सरकार के निदेशानुसार मुफ्त जांच की जा रही है ।

(iv) अस्पताल में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता की स्थिति । मरीजों को सभी आवश्यक दवााईयां मुफ्त मिलती है या नहीं ?

(v) ओ0पी0डी0 एवं इमरजेंसी में रोगियों की समुचित देख-भाल होती या नहीं एवं इमरजेंसी में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयाँ रखी जाती या नहीं ।

(vi) अस्पताल में वरीय चिकित्सक अपनी ड्यूटी पर समय से आते हैं या नहीं ? उनके द्वारा वार्ड में नियमित रूप से राउण्ड लिया जाता है या नहीं ? प्रभारियों की पहचान कर प्रतिवेदन दिया जायेगा ।

(vii) नर्सों का व्यवहार रोगियों/परिजनों के साथ कैसा रहता है ।

(viii) अस्पतालों में साफ-सफाई की व्यवस्था । ट्रौली मैन का कार्य एवं व्यवहार रोगियों एवं डाक्टरों के साथ संतोषप्रद है या नहीं ।

(ix) सरकारी नियमानुसार बेड पर चादर आदि बिछाये जाते हैं या नहीं तथा वे साफ एवं धुले रहते हैं या नहीं ।

(x) अस्पतालों में मरीजों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन एवं नास्ते की गुणवता एवं मात्रा की जाँच ।

(xi) चिकित्सा महाविद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति । एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 छात्रों की पढ़ाई हेतु Classes की कैसी व्यवस्था है ?

(xii) पुस्तकालय में आधुनिक जर्नलों/पुस्तकों की उपलब्धता ।

(xiii) ट्यूटोरियल क्लास की क्या व्यवस्था है ।

(xiv) छात्रावास की कैसी व्यवस्था है तथा उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग हो रहा है या नहीं ।

(xv) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं तथा कितने रिक्त हैं उनका व्योरा प्राप्त करना ।

(xvi) ऑपरेशन थिएटर के उपयोग की स्थिति ।

(xvii) चिकित्सा व्यवस्था एवं पठन-पाठन को उन्नत बनाने हेतु सुझाव ।

(xviii) अस्पतालों में सी0सी0टी0भी0 चालू है अथवा नहीं ? क्या उसका मॉनिटर अधीक्षक के कक्ष में लगा है ? अधीक्षक अस्पताल प्रबंधन में उसकी मदद लेते हैं ?

(xix) गैस पाईप लाईन ऑपरेशन थियेटर एवं वार्डो में कार्यरत है अथवा नहीं ?

2- धावा दल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ रहे एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना जायेगा तथा उन्हें दूर करने के संबंध में अपना सुझाव दिया जायेगा । साथ ही धावा दल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में पिछले तीन वित्तीय वर्षो में मशीन/उपकरण एवं लघु मरम्मति हेतु दिये गये आवंटन का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

3- धावा दल निम्नानुसार गठित किया जाता है ।

धावा दल संख्या	क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम
1	(क)	श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
	(ख)	डा0 के0के0सिंह, उप निदेशक	
2	(क)	श्री आर0पी0ओझा, अपर सचिव	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
	(ख)	डा0 डी0के0 रमन,रा0स्वा0समिति	
3	(क)	श्री जे0पी0सिंह, रा0स्वा0समिति	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर
	(ख)	डा0मधुरेन्द्र किशोर,सं0 निदेशक	
4	(क)	श्री विश्वनाथ ठाकुर, सं0 सचिव	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर
	(ख)	श्री जगदीश सिंह, उप निदेशक	
5	(क)	श्री गंगा प्रसाद,अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वा0समिति	अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया
	(ख)	डा0 आबिद हुसैन, सं0निदेशक	
6	(क)	श्री सांवर भारती, प्रशासी पदा0	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय
	(ख)	डा0 अशोक कुमार यादव, उप निदेशक	

4- धावा दल द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आवंटित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं कॉलेजों का निरीक्षण किया जायेगा ।

5- सचिव, प0क0 धावा दलों के प्रभारी रहेंगे तथा वे धावा दल का कार्यक्रम गोपनीय रूप से निर्धारित करेंगे ।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

पटना, दिनांक जुलाई, 2012

ज्ञापांक-

प्रतिलिपः- स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक जुलाई, 2012

प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थानों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक जुलाई, 2012

प्रतिलिपि कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । कार्यपालक निदेशक कृपया धावा दल में सम्मिलित राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में जाने हेतु निदेशित करेंगे । साथ ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धावा दल के लिए वाहन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे ।

ह0/-
(व्यास जी)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- 301 (HS) पटना, दिनांक 05 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि मंत्री, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित ।

05/7
(व्यास जी)
प्रधान सचिव ।